

राजस्थान सरकार
वित्त (कर) विभाग

क्रमांक प. 7(1)वित्त/कर/2018

जयपुर, दिनांक: 7/3/18

आज्ञा

राजस्थान सेवा नियमों के नियम 56 एवं राजस्थान सिविल सेवाएं (पेंशन) नियम 1996 के नियम 30 के अन्तर्गत अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करने पर राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा के निम्नांकित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथियों से एतद् द्वारा सेवानिवृत्त किया जाता है :-

क. सं.	नाम अधिकारी	पदनाम	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1.	श्री रामगोपाल गुप्ता	सहायक आयुक्त	30.06.1958	30.06.2018
2.	श्री अवधेश कुमार पाराशर	सहायक आयुक्त	01.07.1958	30.06.2018
3.	श्री महावीर प्रसाद कल्याण	वाणिज्यिक कर अधिकारी	10.07.1958	31.07.2018
4.	श्री रामवतार गुप्ता	वाणिज्यिक कर अधिकारी	05.07.1958	31.07.2018
5.	श्री बालकृष्ण वैष्णव	सहायक आयुक्त	12.09.1958	30.09.2018
6.	श्री भागचन्द्र सैनी	वाणिज्यिक कर अधिकारी	15.10.1958	31.10.2018
7.	श्री किशोर सिंह झाला	उपायुक्त	15.11.1958	30.11.2018
8.	श्री कान्तीलाल जैन	अतिरिक्त आयुक्त	11.11.1958	30.11.2018
9.	श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता	अतिरिक्त आयुक्त	10.01.1959	31.01.2019
10.	श्री वीरेन्द्र कुमार शर्मा	उपायुक्त	05.01.1959	31.01.2019
11.	श्री पन्नालाल मेघवाल	उपायुक्त	20.01.1959	31.01.2019
12.	श्री शोकत अली	अतिरिक्त आयुक्त	15.02.1959	28.02.2019


क्रम संख्या 3 एवं 9 पर अंकित अधिकारियों के अतिरिक्त शेष अधिकारियों के संबंध में प्रमाणित किया जाता है कि इनके विरुद्ध आज तक :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

सिविल रिट संख्या 8734/2016 डॉ० प्रभात कांवरिया बनाम राज्य सरकार व अन्य के संबंध में दिनांक 05.12.2016 को मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिये गये निर्णयानुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय की मंशा के अनुरूप राजकीय आवास में अधिवासित अधिकारियों के मामलों में आवंटी की सेवानिवृत्ति से दो माह के भीतर ही राजकीय आवास को रिक्त कराने की कार्यवाही आवश्यक रूप से सुनिश्चित करावे।


नोट:-क्रम संख्या 7 पर अंकित श्री किशोर सिंह झाला, उपायुक्त को दिनांक 28.02.2018 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की स्वीकृति आदेश संख्या प. 7(2)वित्त/कर/2018 दिनांक 28.02.2018 द्वारा अलग से जारी की जा चुकी है।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(शंकर लाल कुमावत)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर प्रकोष्ठ) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. संबंधित अधिकारीगण द्वारा:- आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव